



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)


क्रमांकएफ.2()परावि/प्रशा.1/वि.अ./संस्था/APO/स्थाना/पदस्था/2017/2844 जयपुर,दिनांक:-5.10.2018

-: आदेश :-

निम्नलिखित विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन राज्यहित में तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किये जाते हैं:-

क्र.स.	नाम विकास अधिकारी सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती	कहां से (पं.स.)	कहां को (पं.स.)	विशेष विवरण
1	गणपतलाल सुथार	छोटी सरवन (बांसवाडा)	शिव (बाडमेर)	चिदम्बरा परमार के स्थान पर
2	चिदम्बरा परमार	शिव (बाडमेर)	चितलवाना (जालौर)	रिक्त पद पर
3	धीरज बाकोलिया	झुन्झुनू (झुन्झुनू)	सलूमबर (उदयपुर)	रिक्त पद पर
4	राम प्रकाश गालव	आसपुर (डूंगरपुर)	राजगढ (चूरु)	धनदे के स्थान पर
5	रमेश कुमार धनदे	राजगढ (चूरु)	आसपुर (डूंगरपुर)	गालव के स्थान पर
6	रामखिलाडी मीणा	जहाजपुर (भीलवाडा)	डूंगला (चित्तौडगढ)	रिक्त पद पर
7	हनुवीर सिंह	बांसवाडा (बांसवाडा)	आनन्दपुरी(बांसवाडा)	रिक्त पद पर
8	अजीत सिंह सहरिया	आदेशों की प्रतीक्षा में	मण्डरायल (करौली)	रिक्त पद पर
9	गुलाब सिंह गुर्जर	आदेशों की प्रतीक्षा में	करौली (करौली)	नरेश शर्मा के स्थान पर
10	नरेश कुमार शर्मा	करौली (करौली)	हिण्डौन (करौली)	नंदलाल शर्मा के स्थान पर
11	नंदलाल शर्मा	हिण्डौन (करौली)	राजाखेडा (धौलपुर)	रिक्त पद पर
12	धनदान देथा	विराटनगर (जयपुर)	रायपुर (पाली)	रिक्त पद पर
13	गोपाल सिंह बोचल्यां	कार्य विभागीय जयपुर	घडसाना (श्रीगंगानगर)	रिक्त पद पर
14	मनोज कुमार	राजीविका में प्रतिनियुक्ति समाप्त कर	नावां (नागौर)	रिक्त पद पर

उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने पद का कार्यभार विभागीय परिपत्र दिनांक 15.7.2014 के क्रम में पंचायत समिति में पदस्थापित अधिकारियों की वरियता के क्रम में संभलाकर तत्काल अपनी उपस्थिति नव पदस्थापित स्थान पर प्रस्तुत करेंगे। जिस अधिकारी के स्थान पर किसी अन्य अधिकारी का पदस्थापन कर दिया गया है परन्तु उनका पदस्थापन स्थान आदेश में अंकित नहीं है तो ऐसे अधिकारी प्रतिक्रियात्मक रूप से आदेशों की प्रतीक्षा में अपनी उपस्थिति विभागीय मुख्यालय पर प्रस्तुत करेंगे। उक्त आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। जिन अधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से किया गया है उन्हें नियमानुसार यात्राभत्ता एवं योगकाल देय होगा।


(दिनेश कुमार जांगिड)
संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा एवं राज्य मिशन निदेशक, राजीविका परियोजनायें, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
6. मुख्य परिचालन प्रबन्धक, राजीविका परियोजनाएँ, राजस्थान जयपुर।
7. महाप्रबन्धक (प्रशासन), राजीविका परियोजनाएँ, राजस्थान जयपुर।
8. संभागीय आयुक्त, सम्बन्धित।
9. जिला कलेक्टर, सम्बन्धित।
10. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सम्बन्धित।
11. विकास अधिकारी पंचायत समिति सम्बन्धित।
12. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
13. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
14. आदेश पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)